एडीए ने हटवाया अवैध कब्जा

● संगम प्लेस में 10 दुकानें खाली कराईं ● अवैध माडल शॉप और गैराज भी ध्वस्त

जासं, इलाहाबाद : इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बुधवार को संगम पैलेस में अवैध कब्जे वाली दस दुकानें खाली कराई। साथ ही एल्गिन रोड के मॉडल शाप और गैराज को ध्वस्त कर दिया।

एडीए के व्यवसायिक कांप्लेक्स संगम पैलेस के प्रथम तल की दस दुकानों पर अवैध कब्जा था। बुधवार को एडीए की टीम मौके पर पहुंची और इन दुकानों से अवैध कब्जा हटवाया। एडीए के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा ने बताया कि इन दुकानों का क्षेत्रफल तीन सौ वर्गमीटर है। इनका मूल्य तीन करोड़ रुपये है। अब नए सिरे दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद अतिक्रमण के खिलाफ एडीए की टीम सिविल लाइंस पहुंची। यहां एल्गिन रोड पर अवैध रूप से निर्मित या संचालित मॉडल शॉप और गैराज को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध दुकान के कारण पार्किंग की समस्या थी। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी आलोक कुमार पांडेय, एई अनिल कुमार सिंह, एसबी सिंह, आरएन आजाद, शशि प्रकाश सिंह आदि थे।

संगम प्लेस में सील की गई दुकान।

सील के बावजूद चल रहे होटल शोरूम : एडीए ने पिछले दिनों अपने अभियान के दौरान सिविल लाइंस में क्लाइव रोड पर एक होटल और शोरूम को सील कर दिया था। यह दोनों मंगलवार को खुले नजर आए। ऐसे में एडीए उपाध्यक्ष देवेंद्र पांडेय ने कहा कि यह उनकी जानकारी में नहीं है, यदि ऐसा है तो इन भवनस्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अवैध पार्किंग पर होगी कार्रवाई : संगम क्षेत्र में व सिविल लाइंस क्षेत्र में चार पहिया व दो पहिया वाहनों को अवैध रूप से पार्क करने पर अब कार्रवाई होगी। एसपी यातायात निहारिका शर्मा ने निर्देश जारी किया है कि अभियान चल रहा है। यदि इस दौरान अवैध ढंग से वाहन पार्क मिले तो एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया जाएगा। साथ ही प्रतिष्ठान व संस्थान मालिक यदि सड़क पर अवैध पार्किंग करवाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के आवास आवंटित

इलाहाबाद : इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में लाटरी के जरिए कई आवासों का आवंटन किया। अपर सचिव गुडाकेश शर्मा ने बताया कि लाटरी के जरिए काटजू बाग आवास योजना के एक, अलकनंदा अपार्टमेंट गोविंदपुर के सात, डिवाइन अपार्टमेंट के दो और चांदपुर सलोरी आवास योजना के एक व्यवसायिक भूखंड का आवंटन हुआ है। इनका आवंटन एडीए आफिस में हुआ। चांदपुर सलोरी के व्यवसायिक भूखंड का निर्धारित मूल्य आठ लाख 81 हजार 920 रुपये थी। लेकिन इसकी उच्चतम बोली 32.10 लाख लिखी। आवंटन के दौरान 4.81 करोड़ की संपत्ति निस्तारित हुई।

दैनिक जागरण 10/8/016